"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 201

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013—ज्येष्ठ 10, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट "एक" में दर्शाये जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2013, हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार, दिनांक 24 मई, 2013 को मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"परिशिष्ट-एक"

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की जानकारी
दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	कुल पदों का योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	—	—	6	26	32
2.	मुंगेली	—	1	6	7	14
3.	जांजगीर-चाम्पा	—	2	3	40	45
4.	कोरबा	—	—	2	19	21
5.	सूरजपुर	—	—	3	20	23
6.	बलरामपुर	—	—	2	3	5
7.	सरगुजा	—	2	4	29	35
8.	कोरिया	—	1	1	8	10
9.	रायगढ़	—	1	15	141	157
10.	जशपुर	—	1	5	18	24
	योग	**0**	**8**	**47**	**311**	**366**

नगरीय निकायों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति

क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कोरबा	नगर पंचायत छुरीकला (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	सूरजपुर	नगर पंचायत विश्रामपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-15, नगर पंचायत प्रेमनगर के रिक्त वार्ड क्रमांक-8.
3.	जशपुर	नगर पालिका परिषद् जशपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-18

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

क्रमांक एफ 5-2/2013/1/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 22 फरवरी, 2013 से 08 मार्च, 2013 (15 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 09 एवं 10 मार्च, 2013 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्रमांक ई 7-03/2005/2.—श्रीमती संगीता पी., संचालक, NRLM एवं अपर आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर को दिनांक 24-02-2013 से 25-04-2013 तक (61 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता पी., संचालक, NRLM एवं अपर आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती संगीता पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संगीता पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 20-25/2013/11/(6).—कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के बिन्दु क्रमांक 6-5 में निम्नानुसार प्रावधान है :—

"खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रांतर्गत आने वाले उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाईल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से उद्यमियों को उपलब्ध कराये जायेंगे."

उपरोक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाईल तैयार करने के लिये प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को नोडल अधिकारी नामांकित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्रमांक 2080/2013/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा ऑटामोटिव उद्योग नीति-2012 दिसम्बर 2012 से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31-10-2017 तक के लिये लागू की है. "ऑटामोटिव उद्योग नीति-2012" के प्रभावशील रहने की अवधि में इस नीति के अंतर्गत आने वाले उद्योग को यथासमय लागू औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य सुविधाएं/अनुदान यथा ब्याज अनुदान, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन पर प्रब्याजि में छूट/रियायत, स्टाम्प शुल्क छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान एवं औद्योगिक पुरस्कार योजना के लाभ संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन प्रदान करने की स्वीकृति राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक एफ 1-4/2009/11/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय सेवा (राजपत्रित) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति हेतु चयन समिति;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(घ) "मुख्य निरीक्षक" से अभिप्रेत है मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ङ) "स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी;

(च) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(छ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(झ) "निरीक्षकालय" से अभिप्रेत है वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़ राज्य;

(ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस, 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से एवं स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—

(एक) आयु— (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया

जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा अथवा पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) फीस.– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, किसी मानसिक या शारीरिक अस्वस्थ्यता तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालयय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) चयन हेतु प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(2) चयन प्रक्रिया के समय अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग के परामर्श से शासन द्वारा समय–समय पर जारी पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देश के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े

वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, ऐसे अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रवर्ग से एक चयन सूची बनाई जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी बनाई जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों की अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अंतिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि शासन से प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, चयन सूची की वैधता अवधि में शासन को उसका युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए वृद्धि कर सकेगा।

(10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(11) उप-नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नही की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिस नही करता।

13. परिवीक्षा.– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य संतोषप्रद नही पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी:

परन्तु, इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) में तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को

भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची की प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जो सूची में यथा अनुशंसित अधिक्रमण प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.–** (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि, इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार करते हुए, आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रचलन में प्रभावशील रहेगी जब तक कि नियम 16 के उप–नियम (3) के अनुसार उसकी छानबीन तथा पुनरीक्षित न किया जाए, तथापि सूची की विधि मान्यता उस तारीख, जिस पर सूची के अंतिम होने की तारीख से 18 माह के लिये होगी, इसके पश्चात् इसमें आगे वृद्धि किये जाने की अनुमति नहीं होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के

बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	प्रथम श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600
2.	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	प्रथम श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600
3.	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2	प्रथम श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600
4.	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा [देखिये नियम 6 (1) (क)]	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिये नियम 6 (2)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा				
1.		मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	—	100%	—
2.		उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	—	100%	—
3.		वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2	—	100%	—
4.		निरीक्षक वाष्पयंत्र	6	100%	—	—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती के व्यक्ति की आयु एवं अर्हता

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	वाणिज्य तथा उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा				
		निरीक्षक वाष्पयंत्र	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरी में डिग्री; और (ख) वाष्पयंत्रों के डिजाइन, संनिर्माण, उत्कीर्ण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या वाष्पयंत्र अधिनियम, 1923 (क्र. 5 सन् 1923) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में तकनीकी कार्मिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।	—

टीप.—छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-**समय** पर जारी किए गए निर्देशानुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु अनुभव की कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	वाणिज्य तथा उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा		छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसका प्रतिनिधि. —अध्यक्ष 2. सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग. — सदस्य 3. संचालक, उद्योग — सदस्य
1.		उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	4 वर्ष	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	—तदैव—
2.		वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2 वर्ष	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	—तदैव—
3.		निरीक्षक वाष्पयंत्र	4 वर्ष	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	—तदैव—

Raipur, the 6th May 2013

No. F 1-4/2009/11/6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate Service (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013.
(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;
   (b) "Committee" means a selection committee meant for departmental promotion as specified in Schedule-IV;
   (c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
   (d) "Chief Inspector" means Chief Inspector of Boilers of State of Chhattisgarh;
   (e) "Domicile" means a bonafide resident of Chhattisgarh as per directions issued by the General Administration Department from time to time;
   (f) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11 of these rules;
   (g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (h) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (i) "Inspectorate" means Boiler Inspectorate of State of Chhattisgarh;
   (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
   (k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
   (l) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (m) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(n) "Service" means the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service;

(o) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service. - The service shall consist of the following persons, namely:-.

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc. – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.–(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को

भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची की प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. आयोग से परामर्श.– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जो सूची में यथा अनुशंसित अधिक्रमण प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.–** (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि, इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार करते हुए, आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रचलन में प्रभावशील रहेगी जब तक कि नियम 16 के उप–नियम (3) के अनुसार उसकी छानबीन तथा पुनरीक्षित न किया जाए, तथापि सूची की विधि मान्यता उस तारीख, जिस पर सूची के अंतिम होने की तारीख से 18 माह के लिये होगी, इसके पश्चात् इसमें आगे बृद्धि किये जाने की अनुमति नहीं होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के

बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	प्रथम श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600
2.	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	प्रथम श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600
3.	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2	प्रथम श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600
4.	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा [देखिये नियम 6 (1) (क)]	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिये नियम 6 (2)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा				
1.		मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	—	100%	—
2.		उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1	—	100%	—
3.		वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2	—	100%	—
4.		निरीक्षक वाष्पयंत्र	6	100%	—	—

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती के व्यक्ति की आयु एवं अर्हता

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	वाणिज्य तथा उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा				
		निरीक्षक वाष्पयंत्र	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरी में डिग्री; और (ख) वाष्पयंत्रों के डिजाइन, संनिर्माण, उत्कीर्ण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या वाष्पयंत्र अधिनियम, 1923 (क्र. 5 सन् 1923) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में तकनीकी कार्मिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।	—

टीप.—**छत्तीसगढ़** राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-**समय** पर जारी किए गए निर्देशानुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु अनुभव की कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	वाणिज्य तथा उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा		छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसका प्रतिनिधि. —अध्यक्ष 2. सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग. — सदस्य 3. संचालक, उद्योग — सदस्य
1.		उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	4 वर्ष	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	—तदैव—
2.		वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2 वर्ष	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	—तदैव—
3.		निरीक्षक वाष्पयंत्र	4 वर्ष	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	—तदैव—

Raipur, the 6th May 2013

No. F 1-4/2009/11/6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate Service (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013.
   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;
   (b) "Committee" means a selection committee meant for departmental promotion as specified in Schedule-IV;
   (c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
   (d) "Chief Inspector" means Chief Inspector of Boilers of State of Chhattisgarh;
   (e) "Domicile" means a bonafide resident of Chhattisgarh as per directions issued by the General Administration Department from time to time;
   (f) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11 of these rules;
   (g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (h) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (i) "Inspectorate" means Boiler Inspectorate of State of Chhattisgarh;
   (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
   (k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
   (l) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (m) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(n) "Service" means the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service;

(o) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service. - The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc. – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.–(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.** – All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) **Age-** (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note–(1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental/candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) Fees – The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. Disqualification. – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualified for selection.

(1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such employees.

(2) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared free from any mentally or physically unfit and any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit then his services may be terminated immediately.

(3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Auathority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abevance till the criminal matter is finally determined by the court.

(5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(6) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.– (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/Interview.– (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may women/disabled/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. **List of candidates selected by the Commission.-** (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2)List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation.- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2)If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions regarding eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny

Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

- (i) the record of all the persons included in the list.
- (ii) record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.
- (iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.
- (iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission shall inform the Government with its opinion if any, but once it is considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (2) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (4) of Schedule-IV.

(4) Generally the select list will prevail until it is scrutinized and revised as per sub-rule (3) of Rule 16, however the validity of the list will be for 18 months from the date on which the list is finalized, after which no further extension will be allowed:

3

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Probation.- Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. CHHABLANI, Special Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 4 and 5)

S. No. (1)	Name of Posts included in the service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1.	Chief Inspector of Boilers	1	Class-I	Pay Band Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 7600
2.	Deputy Chief Inspector of Boilers.	1	Class-I	Pay Band Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 6600
3.	Senior Inspector of Boilers	2	Class-I	Pay Band Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 6600
4.	Inspector of Boilers	6	Class-II	Pay Band Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 5400

SCHEDULE-II

(See rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of Service	Number of Post	Percentage of the number of posts filled in		
				By Direct Recruitment [Vide Rule 6 (1) (a)]	By promotion of Substantive members of the service [Vide Rule 6 (2)]	By transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Commerce and Industry Department Chhattisgarh	Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service				
1.		Chief Inspector of Boilers	1	—	100%	—
2.		Deputy Chief Inspector of Boilers	1		100%	—
3.		Senior Inspector of Boilers	2	—	100%	
4.		Inspector of Boilers	6	100%	—	

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Age and qualification of the person to be direct recruited

S. No. (1)	Name of Department (2)	Name of Service (3)	Minimum age limit (4)	Upper age limit (5)	Educational qualification and experience (6)	Remarks (7)
	Commerce and Industry Department Chhattisgarh	Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service				
		Inspector of Boilers	21 years	30 years	(a) A degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized University or equivalent; and	---
					(b) Two years experience as a technical personal in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the Implementation of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923) and rules and regulation framed thereunder.	—

Note — The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See rule 14 and 15)

S. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of Service or post from which promotion is to be made (3)	Minimum period of experience for eligibility for promotion (4)	Name of the service or posts to which promotion is to be made (5)	Name of members of Departmental Promotion Committee (6)
	Commerce and Industry Department Chhattisgarh	Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service,		Chhattisgarh State Boiler Inspectorate (Gazetted) Service,	1. Chairman, — Chairman Public Service Commission or his Representative. 2. Secretary — Member Commerce & Industry Department. 3. Director of — Member Industries.
1.		**Deputy Chief Inspector of Boilers.**	4 years	Chief Inspector of Boilers.	—do—
2.		**Senior Inspector of Boilers.**	2 years	Deputy Chief Inspector of Boilers.	—do—
3.		Inspector of Boilsers	4 years	Senior Inspector of Boilers.	—do—

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3748 को दिनांक 22-04-2013 से 30-06-2013 तक (अतिरिक्त छूट) एवं बॉयलर क्रमांक एम.पी./3825 को दिनांक 02-05-2013 से 31-10-2013 तक (छूट) निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2013

क्रमांक एफ 07-35/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 10-10-2012 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना कोरबा की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-15.4 में संशोधन प्रस्ताव

क्रमांक	सारणी क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-15.4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15.4	कृषि	निम्न घनत्व आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अधोसंरचना के प्रयोजन के लिए है.
3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.
4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2013

क्रमांक एफ 07-35/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 10-10-2012 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना राजनांदगांव की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-8-सा-6 में संशोधन प्रस्ताव

क्रमांक	सारणी क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-8-सा-6 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8-सा-6	कृषि	निम्न घनत्व आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अधोसंरचना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्री महेश कुमार राज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा को किशोर न्याय बोर्ड, दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा, सिविल जिला-दंतेवाड़ा के लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रधान न्यायाधीश (Principal Magistrate) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार कुमारी संघपुष्पा भतपहरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी को किशोर न्याय बोर्ड, धमतरी, जिला-धमतरी, सिविल जिला-धमतरी के लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रधान न्यायाधीश (Principal Magistrate) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्री गोपाल कृष्ण नीलम, प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़, को किशोर न्याय बोर्ड, रायगढ़, जिला-रायगढ़, सिविल जिला-रायगढ़ के लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रधान न्यायाधीश (Principal Magistrate) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्री ग्रेगोरी तिर्की, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर को किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर, जिला-अम्बिकापुर, सिविल जिला-अम्बिकापुर के लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रधान न्यायाधीश (Principal Magistrate) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्रीमती किरण त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जगदलपुर को किशोर न्याय बोर्ड, जगदलपुर, जिला-जगदलपुर, सिविल जिला-जगदलपुर के लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रधान न्यायाधीश (Principal Magistrate) नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

LAW & LAGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT,
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 14th May 2013

F. No. 3915/1100/XXI-B/C.G./13.—In compliance of Judgement dated 29-10-2012 of Hon'ble High Court of Chhattisgarh in W. P. No. 1356/2003 Vijendra Singh Bias and others vs. State of Chhattisgarh, the State Government, w.e.f. 15-01-2003, hereby, restores the pay-scale of 8000-13500 (revised pay-scale 15600-39100 GP 5400 w.e.f. 1-1-2006), in place of the pay-scale of 6500-10500 (revised pay-scale 9300-34800 GP 4400 w.e.f. 1-1-2006), for District Legal Aid Officers working under the State Legal Services Authority, Bilaspur.

This sanction has been accorded by Finance Department vide U.O.No. 111/F/1002350/2013/Vitt/Niyam/Chaar/2013 Dated 6-4-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक 3948/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधि स्नातक छात्र जो पांच वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं या अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें लॉ इन्टर्न/रिसर्च असिस्टेंट के रूप में विधि और विधायी कार्य विभाग में नियुक्त 01 पद हेतु पारिश्रमिक रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) मासिक मानदेय पर नियुक्त किए जाने हेतु सहमति प्रदान करता है.

यह सहमति छ.ग. शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 203/2013-04-000136 दिनांक 14-05-2013 द्वारा प्रदान की गई है. यह आदेश दिनांक 14-05-2013 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012.—छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 3 के खण्ड (ज) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 2 के खण्ड (34-क) के अन्तर्गत परिभाषित, "एकीकृत उपनगर" के विकास के प्रयोजनों हेतु "धारित भूमि" को, छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत छूट प्रदान की जाती है.

No. F 4-108/Seven-1/2012.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 3 read with Section 50 of the Chhattisgarh Ceiling on Agriculture Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960), the State Government, hereby, grants exemption to 'land holdings' for the purpose of development of 'integrated township' as defined under clause (34-A) of Rule 2 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, from the operation of the Chhattisgarh Ceiling on Agriculture Holdings Act, 1960.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक 2041/724/आठ-परि./2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में नियम-63(2) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार में अशासकीय सदस्य के रूप में निम्न व्यक्तियों का मनोनयन एतद्द्वारा 03 वर्षों हेतु किया जाता है :—

1. श्री अभिनेश कश्यप — 196, सुन्दर नगर, रायपुर
2. श्री रघुवीर सिंह बाधवा — स्टेशन वार्ड नं. 10 राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक 1035-903/2013/16.—कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य शासन एतद्द्वारा सहायक संचालक चिकित्सा को सम्पूर्ण राज्य के कारखानों के लिए चिकित्सा निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. 1035-903/2013/16.—In exercise of the powers conferred by section 8(1) of Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) the State Government, hereby appoints Assistant Director Medical Inspector of factories for the whole state.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 1-39/2013/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-48/तीन (एक)-18/पंचा/कार.अव./2012/487 दिनांक 04 मई 2013 उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए उप निर्वाचन वर्ष 2013 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 24 मई 2013 (शुक्रवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की संशोधित जानकारी
दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	कुल पदों का योग (7)
1.	बिलासपुर	—	—	6	26	32
2.	मुंगेली	—	1	6	7	14
3.	जांजगीर-चाम्पा	—	2	3	40	45
4.	कोरबा	—	—	2	19	21
5.	सूरजपुर	—	—	3	20	23
6.	बलरामपुर	—	—	2	3	5
7.	सरगुजा	—	2	4	29	35
8.	कोरिया	—	1	1	8	10
9.	रायगढ़	—	1	15	141	157
10.	जशपुर	—	1	5	18	24
	योग	**0**	**8**	**47**	**311**	**366**

रायपुर, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक एफ 1-39/2013/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-48/तीन (एक)-18/पंचा/कार.अव./2012/487 दिनांक 04 मई 2013 अनुसार निम्नांकित नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2013 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन

श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 24 मई 2013 (शुक्रवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1.	कोरबा	नगर पंचायत, छुरीकला (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	सूरजपुर	नगर पंचायत, विश्रामपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-15 नगर पंचायत, प्रेमनगर के रिक्त वार्ड क्रमांक-08.
3.	जशपुर	नगर पालिका परिषद् जशपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-18

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1.	कोरबा	नगर पंचायत छुरीकला (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	सूरजपुर	नगर पंचायत विश्रामपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-15, नगर पंचायत प्रेमनगर के रिक्त वार्ड क्रमांक-8.
3.	जशपुर	नगर पालिका परिषद् जशपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-18

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2013

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15-05-2013 निरस्त किया जाता है

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-11-2011 द्वारा श्री एस. डी. दीवान को (संचालक), छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के पद पर पदस्थ किया गया था. श्री दीवान को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने पर अपने मूल पद से दिनांक 31-07-2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

अतः श्री एस. डी. दीवान, संचालक (संचालन), छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर को सेवानिवृत्त होने के कारण अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV) के तहत उन्हें सेवानिवृत्ति के दिनांक 31-07-2012 से इस कंपनी के संचालक (संचालन) के पद से पदमुक्त माना जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहभट्ठा	0.30	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग क्र. 01, बिलासपुर.	चकरभाठा से दगौरी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	रहंगी	3.43	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग क्र. 01, बिलासपुर.	चकरभाठा से दगौरी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	किरारीगोढ़ी	0.91	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग क्र. 01, बिलासपुर.	चकरभाठा से दगौरी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	उड़गन	0.93	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग क्र. 01, बिलासपुर.	चकरभाठा से दगौरी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सम्मेसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक 04/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	सत्तीगुड़ी प.ह.नं. 40	3.97	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा (छ.ग.)	सत्तीगुड़ी एनीकट एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मई 2013

क्रमांक 739/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	जांजगीर	कन्हाईबंद प.ह.नं. 50	1.86	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु (द्वितीय पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियमं, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तारापुर प. ह. नं. 18	1.606	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत तारापुर माइनर नहर (आर.डी. 2450/3100 से 2850/3570 मी. तक) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुसमुरा प. ह. नं. 20	3.057	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत कुसमुरा माइनर नहर (आर.डी. 0 से 1730 मी. तक) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ठाकुरपाली प. ह. नं. 18	0.819	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत तारापुर माइनर नहर (आर.डी. 875 से 1375 मी. तक) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोड़ा प. ह. नं. 19	2.799	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत कुसमुरा माइनर नहर (आर.डी. 1730 से 3085 मी. तक) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	करनपुर प.ह.नं. 25	0.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	बेलगांव-नगरनार मार्ग के कि. मी. 1/2 पर इंद्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हरावण्ड प.ह.नं. 02	0.92	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 11-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतराई, प.ह.नं. 115
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.903 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	357/78	0.014
	311/18	0.101
	308/1	0.405
	310/1	0.291
	311/19	0.405
	308/6	0.328
	308/12	1.206
	309/2	0.243
	308/7	0.910
योग	9	3.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-नगर निकाय योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोण्डागांव, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.2576 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
182/2	0.0018
260	0.0024
278/1	0.0060
278/2ख	0.0052
278/2क	0.0052
176, 177	0.0072
175	0.0069
174/3	0.0027
169/1	0.0041
174/1, 174/2	0.0043
169/2	0.0006
169/3	0.0026
167/2	0.0027
167/3	0.0011
167/1	0.0088
166/1	0.0137
166/2	0.0050
165	0.0060
162/4, 163/4, 164/4	0.0107
162/3, 163/3, 164/2	0.0104

(1)	(2)
162/1, 163/1	0.0104
135/1	0.0056
135/2	0.0032
135/3	0.0032
134	0.0053
132/1, 132/2, 133	0.0061
132/2क	0.0066
131	0.0064
130	0.0071
118/1, 119/1, 129/1क	0.0062
118/2, 119/2, 129/2	0.0064
118/3, 119/3, 129/3	0.0060
115/6	0.0075
115/7	0.0062
452/क, 453/2क	0.0019
452/2ग, 453/2ग	0.0019
451/2	0.0079
451/1ख	0.0030
451/1क	0.0032
450	0.0058
446/3	0.0022
446/4	0.0025
446/2	0.0025
445/1	0.0118
445/3	0.0074
445/2	0.0093
444	0.0046
योग	0.2576

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-नगर कोण्डागांव के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. धुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी, प. ह. नं. 12(अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	2.050
4	0.730
6	0.810
7	0.420
41	2.040
42	1.570
43	1.410
44	2.020
45	0.800
47/1	0.390
47/2	0.100
47/3	0.100
47/4	0.100
48	0.810
49	1.930
50	2.190
51	2.070
69	0.720

	(1)	(2)
	5	1.060
योग	19	21.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम--अटल बिहार योजना अन्तर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 264 क/भू-अर्जन/2013/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमनपुर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.224 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	263	0.040
	132/1, 262/1	0.036
	132/2, 262/2	0.036
	242	0.032
	241	0.045
	911/2	0.012
	912	0.061
	226	0.020
	227	0.016
	228	0.016
	230/1	0.053
	217/1	0.057
	217/2	0.049
	204/1	0.012
	908	0.020
	200, 201	0.032
	205/2	0.012
	197/1	0.057
	198	0.012
	197/2	0.049
	196	0.049
	195/3	0.004
	131	0.040
	133/1	0.032
	134/1	0.028
	134/2	0.012
	147/3, 148/2	0.016
	147/2	0.008
	148/1	0.036
	143, 150	0.045
	151/2	0.049
	910	0.020
	157/1	0.028
	158	0.028
	159	0.032
	114/2	0.049
	113/1	0.045
	113/2	0.036
योग	38	1.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के नावापारा माइनर क्रमांक 01 एवं सब-माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 266क/भू-अर्जन/2013/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.925 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
444	0.036
443	0.004
442/2	0.024
445/2ख	0.032
445/2क	0.069
452/2	0.004
452/5	0.045
452/1क	0.049
451	0.040
519/2, 520/2	0.077
450/1	0.121
595, 597	0.073
596	0.016
594/3ख	0.097
594/2	0.125
1045/2	0.016
1045/1	0.016
1045/3	0.053
1046	0.020
1047	0.008
योग 20	0.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के छवारीपाली माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मई 2013

क्रमांक 742क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-मड़वा, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.91 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1598	0.35
1597/2	0.05
1597/3	0.35
1596/1	0.15
1596/3	0.18
1572	0.10
1595	0.24
1594/2	0.08
1584	0.40
1577/2	0.23
1579	0.45
1558	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
1582/1	0.17	299, 300	0.13
1295	0.05	302/1	0.08
1356/3	0.05	1402, 1403/1	0.10
1585/2	0.06	1347/2	0.08
742/1	0.10	814	0.15
1348/3	0.15	805	0.20
1351	0.15	743/1	0.15
1559/2	0.42	764/1	0.05
1297	0.35	764/2	0.05
1298	0.10	767	0.10
1303/1	0.10	769/1	0.05
766/1, 766/8	0.20	257/1क, 257/2क	0.35
1303/2	0.13	257/2ख	0.22
1304/1	0.20	288/3	0.24
1304/2	0.10	1559/1	0.15
1348/2	0.10	288/2	0.40
1305	0.15	1583	0.30
1306	0.30	1332/2	0.08
797/2	0.15	1308/1	0.35
1308/3	0.10	1308/4	0.15
1332/1	0.05	298/1	0.22
1332/3	0.11	242/1	0.12
1333	0.10	810, 811	0.40
1334/2	0.30	800/1	0.11
1334/4	0.05	798/3	0.30
1334/3	0.10	798/1	0.05
242/3	0.20	766/6, 766/7	0.25
1353	0.13	748	0.30
1354	0.12	296/1	0.11
807	0.03	1299	0.03
1352	0.25	1393	0.02
816	0.05	295	0.15
1340	0.03	800/3	0.10
1356/4	0.05	288/1	0.25
1349/2	0.20	301	0.18
1350/1	0.05	296/2	0.11
749	0.15	1427/1	0.10
744	0.17	1559/3	0.10
1302	0.15	815	0.20
1578	0.15	1301	0.60
1308/5	0.10	806/1	0.06
800/2	0.10	806/2	0.06
256/1	0.20	742/2	0.17
256/5	0.05	302/2.	0.64
750/1, 757	0.15	1582/2	0.06
750/2, 755	0.30	732	0.18

(1)	(2)
734	0.15
1356/5	0.06
733	0.15
735	0.30
1334/1	0.05
257/1ख	0.23
302/4	0.30
1350/2	0.03
1350/5	0.05
1350/4	0.05
1350/3	0.02
1392/2	0.02
1596/4	0.05
योग 117	18.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सीधी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 194.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम मौहापाली, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी

एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीयगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

ज़िला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली/23	5	0.165
			6	0.101
			2/2	0.154
			4/2	0.065
			4/1	0.174
			70/1	0.121
			69/3	0.080
			69/2	0.080
			68/1	0.137
			72/2	0.137
			78/1	0.081
			79/1 2	0.121
			78/2	0.146
			78/3	0.146
			259/1ख	0.093
			78/4	0.040
			259/1क	0.485
			78/5	0.069
			78/6	0.080
			207/1ख	0.056
			207/2ख	0.056
			207/1क	0.101
			266/2	0.012
			261/1	0.016
			261/2	0.016
			261/3	0.024
			264	0.364
			265/1, 2, 3	0.437
			287/12, 287/33, 287/31, 287/37, 287/15, 287/30, 287/32, 287/16, 287/8, 287/26, 287/27, 287/22, 287/17, 287/7, 287/29, 287/2, 287/1, 287/35	1.091
			288/2	0.220
			288/3	0.117
			293	0.101
			294/1, 2	0.202
			295/1, 2	0.101
			292	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली/23	304/6क	0.069
			304/6ख	0.053
			296/1	0.194
			296/2	0.048
			304/2क, ख	0.056
			304 ख	0.056
			304/3क, ख	0.202
			304/1ख	0.056
			297	0.020
			301	0.093
			300	0.065
			299/1	0.101
			430/2	0.025
			430/3	0.080
			430/5, 6	0.243
			437/1, 2	0.242
			431/1	0.010
			438/1	0.202
			438/2	0.251
			436	0.056
			440/1	0.010
			441/5	0.032
			441/1	0.150
			442	0.202
			449/1	0.064
			449/2	0.080
			450/1, 451/1	0.121
			448/2	0.040
			448/3	0.004
			450/2, 451	0.101
		योग		8.319

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 196.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम कांशीडीह तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीयगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर–चांपा	डभरा	कांशीडीह/25	7	0.030
			6/1, 2, 3, 4, 5	0.607
			16/1, 2, 3	0.160
			17/1, 2	0.202
			31/1, 2	0.030
			32	0.502
			38	0.020
			40/3	0.040
			40/1	0.138
			41/1	0.162
			41/2	0.101
			42/1, 2, 3, 4	0.080
			58	0.004
			59	0.243
			60	0.162
			61	0.020
			75	0.004
			83	0.040
			77	0.030
			74	0.121
			101	0.283
			96/1, 2	0.283
			95	0.101
			154	0.243
			155/1	0.096
			155/2	0.096
			156	0.058
			94/1, 2, 3	0.101
			626/1, 2	0.202
			625/1, 2, 3, 4	0.283

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर–चांपा	डभरा	कांशीडीह/25	630	0.032
			622/1, 2, 3, 4	0.202
			685/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.121
			686	0.080
			689	0.160
			701	0.121
			804/1, 2, 3	0.080
			805	0.202
			806	0.030
			803/1, 803/2क, 803/2ख, 803/2ग	0.101
			807	0.121
			808	0.080
			809	0.056
			810/1	0.202
			813/1, 2, 3	0.240
			816/1, 2	0.316
			817	0.004
			818	0.004
			821	0.240
			822	0.030
			820	0.093
			824	0.184
			838/1, 2, 3	0.202
			839/1, 2, 3	0.445
			934, 873/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	1.010
			3/1, 2	0.050
			692	0.010
			700	0.010
			815	0.040
		योग		8.908

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 198.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम चन्द्रपुर, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीयगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चन्द्रपुर/25	391	0.160
			392	0.606
			393	0.121
			396	0.040
			388	0.101
			389/1, 2, 3	0.465
			56	0.121
			57/1, 2	0.121
			55	0.067
			60	0.080
			61/1, 2	0.240
			59	0.160
			62	0.080
			63	0.275
			66/1, 2	0.360
			44	0.765
			12	0.121
			13	0.080
		योग		3.963

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 200.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम बगरैल, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) **अधिनियम**, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के **अधिकार** का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की **उपधारा** (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, **सक्षम प्राधिकारी** एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	**डभरा**	**बगरैल/25**	495/1	0.113
			495/2	0.320
			497	0.080
			518/1, 2	0.218
			522/2	0.004
			517/1	0.202
			523/1, 2	0.040
			524	0.283
			525/1, 2	0.080
			533/1	0.010
			533/2	0.040
			528	0.121
			529/1	0.010
			529/2	0.117
			529/3	0.121
			527	0.202
			595/1, 2, 3	0.105
			596/2	0.154
			833/1, 2	0.072
			832/1, 2, 3, 4	0.281
			829/1	0.040
			829/2, 3, 4	0.117
			830/1	0.160
			830/2	0.320
			830/3	0.080
			830/4	0.264
			767/1, 2	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/25	826/1, 2, 3	0.336
			825/1, 2	0.146
			817	0.024
			818	0.065
			823/1, 2	0.160
			822/1	0.121
			822/2	0.126
			498	0.024
			494	0.101
			493	0.081
			464	0.012
			465/1, 2	0.133
			492	0.118
			467/1	0.223
			467/2	0.085
			443/1	0.105
			466	0.081
			444/1	0.142
			444/2	0.162
			381/3	0.085
			380/3	0.141
			381/2	0.154
			381/1	0.081
			380/1	0.081
			380/2	0.081
			340/1, 2, 3	0.251
			341	0.121
			342	0.134
			343	0.129
			362/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	0.510
			359/2	0.073
			361/1	0.040
			361/2	0.068
			363	0.081
			461/1, 2	0.020
			462	0.012
			396/1, 2, 3, 4	0.202
			365/2	0.016
			360/1, 2	0.093
			364/1, 2	0.073
			367	0.016
		योग		8.301

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 202.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-कोसमंदा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोसमंदा/22	496	0.040
			75/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	1.517
			77/1	0.040
			77/2	0.020
			77/3	0.010
			101	2.023
			67	0.162
			68	0.040
			65/1	0.121
			65/2	0.040
			66	0.202
			114	0.057
			115	0.040
			122/5	0.101
			122/4	0.050
			122/3	0.101
			122/1	0.101
			122/2	0.162
			123	0.050
			111/1, 2, 3, 4	0.010
			योग	4.887

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 204.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-फलियामुंडा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुंडा/22	190/1	0.485
			194/1, 2, 3, 4	0.565
			192/2क, 193/2क	0.150
			192/2ख, 193/2ख	0.150
			199	0.040
			198/1	0.321
			196/8	0.136
			196/2	0.291
			196/6	0.080
			197	0.040
			121	0.080
			122/4	0.080
			120	0.088
			119	0.202
			122/2क	0.040
			122/2ख	0.080
			122/3	0.080
			122/6	0.101
			122/7	0.121
			116	0.214
			61	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुंडा/22	114/1	0.121
			105	0.010
			103	0.050
			57/2, 58	0.050
			102/3	0.050
			102/1	0.049
			102/2	0.128
			115/2	0.220
			101	0.077
			107/2	0.088
			107/1	0.040
			117/1, 2, 3, 4	0.101
			109/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.240
			99/3	0.080
			48/2	0.080
			47/15	0.280
			48/1	0.050
			55	0.105
			46	0.088
			45	0.088
			44	0.040
			59	0.070
			60	0.125
			43/1	0.030
			42/1	0.300
		योग		5.914

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 206.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम–बरहागुड़ा, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित हैं, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा–3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरहागुड़ा/25	229/1, 2	0.202
			228/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.240
			227/1, 2, 3	0.056
			187	0.040
			188	0.061
			189	0.065
			190	0.101
			191	0.040
			192	0.056
			223	0.121
			193	0.025
			222	0.184
			195	0.024
			199	0.105
			200	0.239
			205	0.040
			143	0.045
			142	0.121
			206	0.004
			137	0.240
			103	0.024
			104/1, 2	0.387
			105	0.142
			106/1, 2	0.048
			135/1क, ख, 135/2, 3, 4	0.064
			136	0.121
			141/1, 2, 3, 4	0.080
			योग	**2.875**

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप–ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 208.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-बिलाईगढ़, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर–चांपा	डभरा	बिलाईगढ़/26	196/1	0.065
			196/2	0.061
			196/3	0.050
			195	0.146
			193/1	0.096
			193/2	0.080
			193/3	0.050
			193/4	0.020
			194	0.101
			210/1ख	0.004
			259	0.320
			260/1	0.040
			261/1	0.130
			261/2	0.096
			262	0.080
			263/2	0.050
			263/1	0.050
			264/1	0.057
			264/2	0.010
			253	0.160
			265	0.121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़/26	252	0.320
			251	0.104
			241	0.004
			244	0.324
			243	0.065
			242	0.040
			333	0.028
			332	0.160
			234	0.138
			235	0.121
			140/1	0.579
			140/2	0.190
			116	0.040
			19/1	0.049
			19/2	0.093
			198/1	0.105
			198/2	0.028
			250	0.186
			256	0.081
			245/1	0.040
			128, 130	0.160
			134	0.020
			131, 132, 133	0.202
			127/1, 2, 3, 4, 5, 6	1.157
			197	0.887
		योग		**6.908**

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 210.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-गोपालपुर, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर	120	0.320
			118/8	0.088
			121	0.218
			118/4, 131/2	0.283
			132/1	0.103
			131/3	0.160
			138/1, 138/2	0.121
			132/3	0.080
			137/1	0.064
			136/1	0.765
			167	0.121
			163/14	0.056
			157/2	0.024
			163/13	0.176
			157/1	0.160
		योग	17	2.739

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 212.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय को घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	603/1, 2, 3	0.121
			606	0.030
			605/1, 2, 3, 4	0.020
			614/1, 2, 3	0.136
			616	0.136
			613	0.162
			612/1, 2, 3, 4	0.022
			610/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.080
			611	0.160
			634/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.202
			635/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0.202
			636/1, 2, 3, 4	0.242
			638	0.160
			योग	**1.673**

डभरा, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 214.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 4000 मेगावाट लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-हीरापुर, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम लारा एस.टी.पी.सी., तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी

एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हीरापुर/25	181/1, 2, 3, 4	0.566
			182/1, 2, 3	0.125
			183/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0.685
			271	0.024
			184	0.004
			170/2	0.016
			170/1, 191	0.287
			192	0.080
			166/5	0.060
			166/2	0.050
			166/6	0.080
			146/1, 2, 3	0.445
			144/1, 2, 3, 4	0.088
			145/1, 2	0.240
			135	0.016
			133/1, 2, 3, 4, 5	0.565
			213/1, 2, 3	0.121
			83/1, 2, 3	0.445
			82/1, 2	0.485
			71	0.168
			70	0.080
			72	0.121
			73/1, 2	0.121
			74	0.032
			210/1, 2	0.020
			212/1, 2	0.040
			81/1, 2, 3, 4	0.405
			योग	5.369

बी. सी. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).